

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1993]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1993]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

का.आ. 2670(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 1281 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के, पैरा 5 के, खंड (1) में, उपखंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ग) चार्टर्ड एकाउंटेंट या कम्पनी सचिवों या लागत लेखाकारों अथवा अधिवक्ताओं की कोई फर्म, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है; या

(घ) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट या कम्पनी सचिव या लागत लेखाकार अथवा अधिवक्ता या कर विवरणी तैयार कर्ता, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है; या"

[अधिसूचना सं. 66/2016/फा. सं. 133/89/2015-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1281(अ) तारीख 27 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2413(अ) तारीख 22.09.2009 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।